

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जनवरी 2016—पौष 15, शक 1937

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. एफ 2-94-2014-1-पचपन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)	पद की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश.	01	भारतीय प्रशासनिक सेवाएं	रुपये 37,400—67,000+ग्रेड वेतन 10,000
1 अ	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	01	मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवाएं प्रथम-श्रेणी	रुपये 37,400—67,000+ग्रेड वेतन 10,000
1 ब	संचालक (परियोजना) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा.	01	—तदैव—	रुपये 37,400—67,000+ग्रेड वेतन 10,000

2. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	पदनाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पद की कुल संख्या	कर्तव्य पद की कुल संख्या की प्रतिशतता		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
				सीधी भर्ती	पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश.	भारतीय प्रशासनिक सेवाएं	01	-	-	भारतीय प्रशासनिक सेवाएं
1 अ	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवाएं प्रथम-श्रेणी.	01	-	100 प्रतिशत	—
1 ब	संचालक (परियोजना) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा.	—तदैव—	01	-	100 प्रतिशत	—

अनुसूची-चार में,—

- (एक) अनुक्रमांक 1 में, कॉलम क्रमांक (2) तथा (4) में, शब्द “संचालक परियोजना, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा” अन्तः स्थापित किया जाएं.
- (दो) अनुक्रमांक 2 में, कॉलम क्रमांक (2) तथा (3) में, शब्द “संचालक परियोजना, संचालक परियोजना, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा” अन्तः स्थापित किया जाएं.

S. No. F 2-94-2014-1-LV.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Recruitment Rules, 1987, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Schedule-I, for Serial Number 1 and entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of post included in service	No. of Post	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Commissioner, Medical Education, Madhya Pradesh.	01	Indian Administrative Services	Rs. 37,400—67,000+Grade Pay 10,000.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 A	Director of Medical Education	01	Madhya Pradesh Medical Education Services Class-I.	Rs. 37,400—67,000+Grade Pay 10,000.
1 B	Director (Project), Directorate of Medical Education.	01	-do-	Rs. 37,400—67,000+Grade Pay 10,000.

2. In Schedule-II, for Serial Number 1 and entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Designation	Name of Service	Total No. of Duty Post	Percentage of Total No. of Duty Post		By Transfer of Person from Other Services
				Direct Recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Commissioner, Medical Education, Madhya Pradesh.	Indian Administrative Services	01	-	-	Indian Administrative Services.
1 A	Director of Medical Education	Madhya Pradesh Medical Education Services Class-I.	01	-	100%	-
1 B	Director (Project), Directorate of Medical Education	-do-	01	-	100%	-

3. In Schedule IV—

- (i) In serial number 1, in column number (2) and (4), the words, “Director Project, Directorate Medical Education” shall be inserted.
- (ii) In serial number 2, in column number (2) and (3), the words, “Director Project, Directorate Medical Education” shall be inserted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.